


अज अदालत सहायक कलेक्टर बागोड़ा जिला-जालौर (राज.)

प्राथी: मालसिंह/डा. हेमसिंह
 रामपूर बुम्बडिया

बनाम मोहम्मद तबिसुल्लाह/शुक्रसिंह
 रामपूर बुम्बडिया

किस्म मुकद्दमा 212 रा मा य

मुकद्दमा नम्बर 17 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
5/6/18	<p>प्राथीगण/सायल/अपीलाण्ट/वादीगण/ ने एक वाद/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा मा य में बाबत <u>अस्थागो निवेद्या</u> पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगणों/मैर सायल/रिस्पोंडेन्ट/प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 3/6/2018 को पेश हो।</p>	
9/6/18	<p>पत्रावली राफ्त लोड अदालत डेम्प जिलावा ल में पेश हुई। उक्त प्रकरण के पूर्व से ही अन्तर्गत धारा 212 प्रकरण सं: 99/17 विचाराधिन है, अतः उक्त ही प्रकरण के क्र 71 नहीं चल सकती अतः कडील प्रार्थी द्वारा लेबर के प्रकरण पेश किया है। अतः कडील प्रार्थी द्वारा उक्त 71 पढीये नोट पुल थारीज करके अत्रिकेदन किया। कडील प्रार्थी के नोट पुल के आधार पर उक्त प्रकरण पढीये नोट पुल थारीज किया जा रहा है, पत्रावली के लल उम्मा होडा नम्बर से उक्त ही।</p>	<p>Not press <i>me</i>  <i>Ab</i></p>

9/6/18